लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./सी/67(36)/अध्या.संवि./2017–18/ 1997 **भोपाल, दिनांक** 13.12.18

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय :– न्यायालीयन **प्रकरणों** में पारित **निर्णय** के पालन में **अन्तर्निकाय संविलियन की अनुमति प्राप्त** याचिकाकर्ताओं को भार मुक्त करने के संबंध में।

:: 00 ::

लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. के द्वारा अध्यापक संवर्ग **के** ऑनलाईन अन्तर्निकाय संविलियन **की** अनुमति के आदेश जारी किये गये **थे**। जनजातीय कार्य विभाग के **द्वारा** शिक्षकों की कमी के आधार पर उनकी शैक्षणिक **शालाओं से कार्य मुक्त .नही किये** जाने के निर्देश **जारी किये गये है**। इस निर्देश के कारण 725 गैर आदिवासी से आदिवासी, 435 आदिवासी से गैर आदिवासी एवं 290 आदिवासी से आदिवासी की शैक्षणिक शालाओं में अन्तर्निकाय संविलियन की जारी अनुमति का पालन नही होने **के कारण माननीय उच्च न्यायालय में कई याचिकाऐं उद्‌भूत** हुई है, जिनमें माननीय उच्च **न्यायालय** द्वारा वादियों को **भार मुक्त करने के निर्देश दिये गये है।**

2/ उक्त के अनुक्रम में निर्देशित **किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के** पालन में जिन याचिकाकर्ताओं को स्कूल शिक्षा विभाग से **आदिवासी विभाग की शालाओं में अन्तर्निकाय संविलियन की** अनुमति जारी हुई है, उन **याचिकाकर्ताओं** को **स्कूल शिक्षा विभाग** की शालाओं से नवीन **निकाय के** निकाय **प्रमुख** को भार मुक्त किया जाना **है**। यदि **अन्तर्निकाय संविलियन** की अनुमति प्राप्त याचिकाकर्ता आदिवासी विकास विभाग से स्कूल शिक्षा **विभाग की शाला में भार मुक्त** होकर आता है तो उसे निकाय प्रमुख के **माध्यम** से कार्य भार ग्रहण कराया जायेगा।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./शि.क./सी/67(36)/अध्या.संवि./2017–18/ 1998 भोपाल, दिनांक 13.12.18

प्रतिलिपि :–

1. **प्रधान** रजिस्ट्रार, **उच्च न्यायालय जबलपुर**, ग्वालियर एवं इन्दौर म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, **मध्यप्रदेश**।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत **मध्यप्रदेश**।
5. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग मध्यप्रदेश।
7. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, विधि प्रकोष्ठ, जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर म.प्र.।
8. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत मध्यप्रदेश।
9. सहायक संचालक (विधि) स्थानीय।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश